कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
पत्रांक– 3165 /11–सी–FP/UP/Trans/44753/2020, लखनऊ, दिनांकः अप्रैल 03 ,2023

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

विषयः– जनपद–सोनभद्र के ओबरा वन प्रभाग के अंतर्गत 400 के0वी0 लीलो ओबरा विद्युत पारेषण लाईन में प्रभावित 7.5118 हे0 आरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के लीज नवीनीकरण के संबंध में।

संदर्भः– उ0प्र0 शासन का पत्रांक–04/81–2–2023–800(04)/2023, दिनांक 27.01.2023 एवं मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर मण्डल, मिर्जापुर का पत्रांक–3148/मी0क्षे0/33, दिनांक 21.03.2023

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करें। उ0प्र0 शासन के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में आपत्ति सं0–01 से 07 तक की गयी आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर वांछित सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर मण्डल, मिर्जापुर के उपरोक्त पत्रांक–3148/मी0क्षे0/33, दिनांक 21.03.2023 के द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है।

उ0प्र0 शासन की आपत्ति सं0–8 के क्रम में अवगत कराना है कि विषयगत प्रकरण परिवेश 1.0 पोर्टल में अपलोड किया गया है। चूंकि उपरोक्त प्रस्ताव भारत सरकार के परिवेश 2.0 पोर्टल में अपलोड नहीं किया गया है। अतः इस प्रस्ताव को परियोजना जॉच समिति (PSC) में सम्मिलित किये जाने एवं अनुमोदन किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

अतः उक्त पत्र की छायाप्रति सहित वांछित सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख दो प्रतियों में इस अनुरोध के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है कि कृपया विषयॉकित प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या– 3165 /11–सी–FP/UP/Trans/44753/2020, दिनांकित।
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर मण्डल, मिर्जापुर।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा वन प्रभाग, ओबरा।
3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत पारेषण खण्ड, 220 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र तलबल हाईडिल कालोनी, गाजीपुर।

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

Acy-421